

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
हुकम
में जारी

२ 5
18

वकील कक्षीकण उपस्थित। मजिस्ट्रेट वरुण सुनी
 गई। निर्णय अलग से लिखाया जाकर
 सुनाया गया। निर्णय अनुसार एकवक
 तहसीलदार की करवाणपूर्व को रिमाउड किया
 जाता है ग्राम पेचापत 52 जी.पी. के
 द्वारा जारी (ओडिश) डिप्लोमा 5-2-2016
 के एक 49 जी.पी. के कु. नं. 25, 32
 की कुल 3.126 हे. नहरी भूमि के संबंध
 में दर्ज विवाद के अन्तर्गत सुनवाई
 330 निरस्त किया जाता है एक
 एकवक तहसीलदार की करवाणपूर्व में
 द्वारा जारी के साथ रिमाउड किया जा
 है कि वह इस विवादित भूमि के
 संबंध में दोनों पक्षों को सुनकर
 विधि समत निर्णय पारित करे। (ओडिश)
 द्वारा जारी का तहसीलदार की करवाणपूर्व
 के गान जारी हो। पत्रावली के द्वारा
 सुनाव होकर दायित्व फलन हो।



उपखण्ड अधिकारी राजस
 बीकरणपुर (श्री गंगानगर)